न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 110/2011/75 एलआर एक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रीतमसिंह पुत्र बुटासिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी।
2. नारायण दास पुत्र चंचलसिंह जाति सिन्धी।
3. हीरामल पुत्र देवसीमल जाति सिंधी।

—रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट
   श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

(2) अपील स. 86/2012/75 एलआर एक्ट

1. शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिंधी निवासी सिंधी मोहल्ला वार्ड नं0 22 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जयकिशन पुत्र शंकरलाल जाति सिंधी निवासी सिंधी मोहल्ला वार्ड नं0 22 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सेवकराम पुत्र शंकरलाल जाति सिंधी निवासी सिंधी मोहल्ला वार्ड नं0 22 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रीतमसिंह पुत्र बुटासिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी टिब्बी दिनांक 30.09.10
प्रकरण सं0 41/2010 अनवानी मलकीत सिह बनाम सरकार

उपस्थित :—

1. श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
3. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिंनाक : 13.08.2018

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 मलकीत सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 3 एसबीएन के प.न. 216/198 कि.न. 12 ता 15 की 0.843 है0 भूमि को आवंटी नारायणदास से जरिये ईकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के उक्त आवेदन के आधार पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के उपरांत अपीलाधीन

आदेश के जरिये नियमन आदेश जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीले प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं समान भूमि होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपील सं. 110/11 के अपीलाण्ट जो कि अपील सं. 86/2012 के रेस्पो0 सं. 2 है, के विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय का विधिक प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रश्नगत भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बैचान किया जाना सिद्ध नही था इसलिए किसी भी सूरत मे नियमन नही किया जा सकता था। प्रश्नगत भूमि का नियमन करने से पूर्व मूल आवंटी द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो खजाना राज मे जमा करवाई गई या नही इस तथ्य की कोई भी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई और ना ही मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई और ना ही कब्जा बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत हुए एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नही था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नही था। इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय से रेस्पो. के हक मे गलत रूप से नियमन किया गया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. अपील सं. 86/2012 के अपीलाण्ट शंकरलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उक्त भूमि नारायणदास से जरिये ईकरारनामा दिनांक 27.11.1991 खरीद की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने नारायणदास व हीरामल, जो आवंटी थे, को कोई नोटिस जारी किये बिना उक्त आदेश पारित किया गया है। नारायणदास पुत्र चंचलदास की मृत्यु दिनांक 27.12.93 को व हीरामल उर्फ हीराचंद की मृत्यु दिनांक 06.03.1998 को हो चुकी है। जिसका ज्ञान रेस्पो0 सं. 1 को था। नारायणदास के हक व हिस्सा की प्रश्नगत भूमि सहित अन्य कृषि भूमि की वसीयत अपील सं. 86/2012 के अपीलांट सं. 2 व 3 के पक्ष मे है तथा हीरामल उर्फ हीरोमल उर्फ हीराचंद के हक व हिस्सा की प्रश्नगत भूमि सहित अन्य कृषि भूमि की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वसीयत अपीलांट सं. 1 की पत्नि जमनादेवी के पक्ष मे है तथा जमना देवी की मृत्यु दिनांक 05.11.2010 को हो चुकी है। जमनादेवी ने अपने हक व हिस्सा की सम्पति की वसीयत अपीलांट सं. 1 के पक्ष मे की हुई है। अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना व इनको कोई नोटिस जारी किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट सं. 2 व 3 तथा जमनादेवी का प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि की नियमन संबंधित प्रार्थना पत्र आक्षेपित आदेश पारित करते समय विचाराधीन थे। अपीलांट की नियमन की पत्रावली पर बिना कोई निर्णय पारित किये रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे भूमि के नियमन के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक ही भूमि के संबंध मे भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो जाने की सूरत मे सभी प्रार्थना पत्रो का निस्तारण एक साथ संबंधित पक्षकारो को सुनकर किया जाना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को विचाराधीन रखते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। रेस्पो0 सं. द्वारा कथित ईकरारनामा फर्जी व कूटरचित है, नारायणदास व हीरामल ने कभी भी रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे इकरारनामा निष्पादित नही किया। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा कथित इकरारनामा के आधार पर रेस्पो0 सं. 1 को कोई अधिकार हासिल नही होते। रेस्पो0 सं. 1 ने अपने पक्ष मे कथित इकरारनामा दिनांक 27.11.1991 को साबित भी नही किया। प्रश्नगत इकरारनामा पर्याप्त स्टाम्प पर तहरीर न होने व पंजीबद्ध न होने के कारण साक्ष्य मे ग्राहय नही था। प्रश्नगत भूमि अपीलांट को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है, इसका ज्ञान रेस्पो0 सं. 1 को शुरू से ही रहा है लेकिन रेस्पो0 सं. 1 ने इन तथ्यों को छिपाते हुए एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया है। अपीलांट शंकरलाल ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है जिसके संबंध मे धारा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलांट को दिनांक 15.10.2012 से पूर्व नही था। अपीलांट अपनी कृषि भूमि की ठेका राशि लेने के लिए दिनांक 15.10.2012 को रेस्पो0 सं. 1 के पास गए तो रेस्पो0 सं. 1 ने ठेका राशि देने से इन्कार कर दिया तथा कहा कि प्रश्नगत भूमि मे अपीलांट का कोई हक व हिस्सा नही है तथा प्रश्नगत भूमि का आदेश दिनांक 01.03.2011 को अपने पक्ष मे होने का कथन किया जिस पर अपीलांट ने संबंधित पत्रावली की पड़ताल की तथा अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 17.10.2012 को प्राप्त होन पर सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अपील सं. 110/11 के रेस्पो0 सं. 1 जो कि अपील सं. 86/2012 मे रेस्पो0 सं. 1 है, के विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है रिकार्ड के विपरीत है समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, नियमन व खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व पूर्ण प्रक्रिया की पालना कानून के मुताबिक की गई है। जमाबन्दी में उक्त भूमि नारायणदास पुत्र चचलदास व हीरामल पुत्र देवसीमल सिन्धी अलाटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज है। आवंटी ने उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट सं. 1 को बेचान कर दी थी। भूमि नियमन कर खातेदारी दिये जाने से पूर्व नियमन की समस्त प्रक्रिया की पालना करते हुए रिपोर्ट लेते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी का अन्य ऐतराज की इसमें रकम पूर्ण जमा थी या नही इसकी रिपोर्ट नही ली गई यह ऐतराज भी विधि सम्मत नही है इस संबध में रिपोर्ट ली गई तथा रकम जमा होने का तथ्य पत्रावली पर आया तत्पश्चात नियमन शुल्क भी जमा करवाया गया इसलिये सरकारी रकम बकाया होने का तथ्य भी अपीलार्थी का सही नही है। ईकरारनामा दिनांक 27.11.1991 की राशि आवंटी/बैचानकर्ता ने स्वयं ने प्राप्त की है।

6. अपीलांट शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध मे कथन किया कि अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता। इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलांट को प्रश्नगत आदेश को चुनौती देने की कोई अधिकारिता नही है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के प्रार्थना पत्र की पूर्ण जांच करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी व कूटरचित है जिसके आधार पर अपीलांट कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे नारायणदास पुत्र चंचलदास व हीरामल पुत्र देवसीमल द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी उक्त कृषि भूमि का ईकरारनामा दिनांक 27.11.91 को निष्पादित किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित करते हुए रेस्पो0 सं. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के पक्ष मे खातेदारी के आदेश प्रदान किये जा चुके है। प्रश्नगत भूमि से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नही है व ना ही प्रश्नगत भूमि अपीलांट के कब्जा मे है। अपीलांट का यह कथन कि उक्त आदेश से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। अपीलांट शंकरलाल की सुनवाई करने की कोई आवश्यकता अधीनस्थ न्यायालय को नही थी क्योंकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये उक्त आदेश के संबंध मे तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का किसी प्रकार से अधिकारी नही है। इसलिए उपरोक्त दोनो अपीले आधार हीन होने के कारण दोनो अपीले खारिज की जावे।

7. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट शंकर लाल द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमे मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण का नियमन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि नारायणदास पुत्र चंचलदास व हीरामल पुत्र देवसीमल अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप मे दर्ज थी आवंटी नारायणदास व हीरामल ने उक्त वादग्रस्त भूमि प्रीतम सिंह को जरिये ईकरारनामा दिनांक 27.11.1991 बैचान कर दी। उक्त ईकरारनामा के आधार पर रेस्पो0 प्रीतम सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष खातेदारी अधिकार बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र के अनुसरण मे हस्तान्तरण दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 27.11.1991 की प्रतिफल राशि अपूर्ण है, के आधार पर नियमन/खातेदारी के आदेश पारित कर दिये। जबकि उक्त हस्तान्तरण दस्तावेज प्रतिफल राशि के अभाव मे पूर्ण नही था, क्योंकि उक्त ईकरारनामा मे प्रश्नगत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि का बैचान का सौदा 70000 रू0 मे तय किया गया जिसमे से 32667 रू0 प्राप्त कर लिये गये और शेष 37333 रू0 रजिस्ट्री बैयनामा के समय प्राप्त करूगा, का अंकन किया गया है। उक्त ईकरारनामा मे वर्णित बकाया राशि के संबंध मे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अन्य अपील सं. 86/2012 मे अपीलांट के कथनानुसार वादग्रत भूमि के संबंध मे आवंटी नारायणदास के हक व हिस्सा की प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि की वसीयत नारायणदास द्वारा दिनांक 01.12.1993 को अपीलांट सं. 2 व 3 शंकरलाल के पक्ष मे तथा हीरामल उर्फ हीरोमल उर्फ हीराचंद के हक व हिस्सा की प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि की वसीयत दिनांक 08.02.95 को हीरामल द्वारा अपीलांट सं. 1 की पत्नि जमनादेवी के पक्ष निष्पादित करवाई गई है। जमनादेवी की मृत्यु दिनांक 05.11.2010 को हो चुकी है। जमनादेवी ने अपनी उक्त आराजी सहित अन्य भूमि की वसीयत दिनांक 04.10.10 को अपीलांट शंकरलाल के पक्ष मे की गई है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि एवं अन्य भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस शंकरलाल वगैरा को बिना सुने एवं बिना सुनवाई अवसर दिये अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि खातेदारी अधिकार रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे किये गये है। वादग्रस्त भूमि के संबंध अपीलांट शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 10.12.99 को निष्पादित किया गया है जबकि वादग्रस्त का बैचान जरिये ईकरारनामा दिनांक 22.08.91 को रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे किया गया है। इसलिए वादग्रस्त भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित किए जाने से वसीयत के आधार पर अपीलांट को उक्त भूमि उसी स्थिति मे प्राप्त हो सकती है जबकि ईकरारनामा विधिपूर्ण साबित नही हो जावें।

9. उपरोक्त परिस्थितियों मे बेचान/हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण नही होने के कारण इस इकरारनामे के द्वारा किए गए हस्तान्तरण बेचान को विनियमन नही किया जा सकता है। इसलिए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत ईकरारनामा दिनांक 27.11.1991 को हुये ईकरारनामा की बकाया राशि 37333 रू0 दिये जाने का अंकन किया गया है, की प्रमाणिकता एवं सत्यता की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है तथा प्रमाणिकता एवं सत्यता की जांच होने के उपरांत बैचान/हस्तान्तरण अपूर्ण होना पाया जाता है तो अपीलांट शंकरलाल एवं अपीलांट सं. 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के संबंध मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वसीयत के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। इस प्रकार उपरोक्त दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर

Web Copy - Not Official

अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

10. उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो अपीले स्वीकार योग्य होने के कारण अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नियमन आदेश 01.03.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे ईकरारनामा दिनांक 27.11.1991 जिसमे अपूर्ण/आंशिक प्रतिफल के आदान प्रदान का अंकन है तथा रजिस्ट्री के समय शेष प्रतिफल के भुगतान का उल्लेख किया गया है, के संबंध मे अन्य साक्ष्यों से प्रमाणिकता एवं सत्यता की जांच कर ईकरारनामा के संबंध मे सन्तुष्टि करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमे मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण का नियमन किये जाने के प्रावधानों के अनुसार हस्तान्तरण के नियमन संबंधी प्रकरण का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 13.09.2018 को उपस्थित हो। दोनो पत्रावलियों मे निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official